सूचना का अधिकार

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत)

मैनुअल

(ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये)

मैनवल

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, की धारा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जा सकने वाली सूचनायें।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8– सूचना प्रकट किए जाने से छूट– की उपधारा (1) (घ)/(1)(ङ/(1)(ज) में वर्णित छूट के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध न कराई जाने वाली सूचनायें।

(197)

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा निदेशालय कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रो पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया:–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए निदेशालय कार्यालय के सूचना अनुभाग में एक रजिस्टर रखा जायेगा। जिसमें आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक, आवेदक का नाम/पता, प्राप्त शुल्क विवरण, मागी गई सूचना का सूक्ष्म विवरण, किस अनुभाग को किस दिन भेजा गया, आवेदक को शुल्क आदि के सम्बन्ध में सूचित करने की दिनांक, आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का दिनांक आदि के कॉलम रखे जायेगें सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों को अनिवार्य रूप से इस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र में मागी गई सूचना का सम्बन्ध अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से सम्बन्धित हो या ऐसी सूचा किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में उस आवेदन पत्र को दूसरे लोक प्राधिकारी, जिससे सम्बन्धित सूचना हो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार हस्तांतरण किया जायेगा जिसकी अवधि 05 दिन से अधिक नही होगी और इसकी सूचना शीर्ध आवेदनकर्ता को भी भेज दी जायेगी। आवेदन शुल्क की धनराशि रू0 10.00 (रूपये दस मात्र) निदेशक कार्यालय में ही जमा होगी।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त सूचना अनुभाग द्वारा उसे पत्रावली पर संचित करने के उपरान्त पत्रावली पर सूचना का अधिकार अधिनियम एवं सूचना देने की अन्तिम तिथि लिखी जायेगी जिससे सम्बन्धित अनुभाग को कार्य करने मे सुविधा हो।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो आवेदन पत्र निदेशालय कार्यालय से सम्बन्धित हो उन्हें अविलम्ब एक पत्रावली के माध्यम से सूचना अनुभाग को उपलब्ध करायेगें जिसमें निस्तारण का विवरण भी अंकित किया जायेगा। यदि सूचना किसी दूसरें विभाग से सम्बन्धित है तो पत्र पर प्रार्थना पत्र किस विभाग/अनुभाग से सम्बन्धित है का आंकन कर सूचना अनुभाग को भेजा जायेगा तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार हस्तांतरण करेगें तथा उसकी सूचना आवेदक को भी दी जायेगी।

4. सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्र जिनमें दो या अधिक अनुभागों द्वारा सूचना दी जानी हो। इस सम्बन्ध में जिन अनुभाग से सम्बन्धित प्रथम सूचना हो वह अनुभाग दूसरे अनुभाग से भी सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना अभ्यार्थी को उपलब्ध करायेगा।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षणोपरान्त जो मांगी गयी सूचनाएं निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध हो तो उन्हें नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर से आवेदक को शीघ्रताशीघ्र निर्धारित 30 दिन की समय सीमा से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जो सूचना आवेदको को उपलब्ध करायी जायेगी उसमें यह भी उल्लेख होगा कि यदि आप उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट नही है तो आप निदेशालय के प्रथम अपीलीय अधिकारी से समक्ष अपील कर सकते है। पत्र में अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, दूरभाष संख्या आदि का विवरण भी दिया जायेगा। आवेदक को भेजी गयी सूचना की एक प्रति अथवा सूचना प्रेषण का विवरण भी दिया जायेगा। आवेदक को भेजी गयी सूचना की एक प्रति अथवा सूचना प्रेषण का विवरण अलग से उस अनुभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी ताकि सम्बन्धित अनुभाग भी सूचना का प्रेषण किया गया है के तथ्य से भिज्ञ रहें।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3)(क) उपधारा (1) के अधीन विहित शुल्क के अनुसरण में रकम निकालने के लिए की गई संगणनाओ के साथ उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और शुल्क का ब्यौरा देते हुए उससे उस शुल्क को जमा करने का अनुरोध करते हुए सूचना भेजी जायेगी और उक्त

सूचना के प्रेषण और शुल्क के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि का उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणा करने के प्रयोजन के लिए उपवर्जित किया जायेगा।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने की कार्यवाही अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक को समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

7. यदि आवेदक को सूचनाओं के सम्बन्ध में कोई अभिलेख की प्रतियां दी जाती है तो उसका शुल्क आवेदक से नियमानुसार जमा कराया जायेगा और शुल्क जमा कराने के लिए उसे शीघ्र निर्धारित समय सीमा में सूचित कर दिया जायेगा। निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर ही अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया हो कि वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से सम्बन्धित हो और उसके द्वारा दस रूपये के सम्बन्ध में प्रमाणित अभिलेख संलग्न किया गया हो, तो उससे नियमान्तर्गत किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा।

8. सामान्यतः आवेदक को यू0पी0सी0 द्वारा सूचना भेजी जायेगी किन्तु यदि आवेदक ने रजिस्ट्री डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजने हेतु शुल्क जमा किया है तो तदनुसार रजिस्ट्री डाक/स्पीड पोस्ट से सूचना भेजी जायेगी।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत आवेदक द्वारा जो सूचना मांगी गयी है यदि उसको देने के लिए आवेदक से कोई शुल्क लिया जाना है तो उससे शुल्क मांगने हेतु जो पत्र प्रेषित किया जायेगा उसमें सूचना शुल्क के अतिरिक्त यह भी उल्लेख हो कि वह किस माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहेगा। आवेदक को सूचना प्राप्ति के माध्यम के सभी विकल्प जैसे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड, यू0पी0सी0, साधारण या दस्ती द्वारा के सम्बन्ध में विवरण देते हुए पूछ लिया जायेगा तथा उसी के उनुसार उससे शुल्क मांगा जायेगा।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर सूचना निर्धारित 30 दिन की समयावधि के अन्दर देना सुनिश्चित करने हेतु यदि किसी अनुभाग द्वारा 20 दिन तक सूचना नही दी जाती तो सूचना अनुभाग द्वारा सम्बन्धित अनुभाग को अनुस्मारक प्रेषित किया जायेगा।

11. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक को जो सूचना दी जाए सूचना अनुभाग के रजिस्टर में उसका निस्तारण अंकित किया जायेगा इस हेतु सभी अनुभाग जो सूचना प्रेषित करें उसकी एक प्रति अथवा प्रेषित की गयी सूचना का विवरण निदेशालय के सूचना अनुभाग को उपलब्ध करायेगें।

12. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो अपीलें प्राप्त होती है उसके लिए सूचना अनुभाग में एक पंजिका अलग से रखी जायेगी जिसमें समस्त विवरण अंकित करते हुए सीधे अपीलीय अधिकारी को अपील प्रेषित की जायेगी। अपीलीय अधिकारी सुनवाई/विचार हेतु कोई तिथि नियत करेंगें तथा सम्बन्धित अनुभाग से कोई सूचना/संदर्भ अथवा पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेश करेंगे तथा सम्बन्धित अनुभाग तदनुसार सुचना/अभिलेख प्राप्त कर नियत तिथि को अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई/विचारोपरान्त अपील पर जो निर्णय/आदेश पारित किया जायेगा अपील के निस्तारण की प्रविष्टि अपीलीय अधिकारी के स्तर पर अनुरक्षित अपील पंजिका में की जायेगी तथा पारित आदेश की प्रति अथवा सूक्ष्म विवरण सूचना अनुभाग को भी भेजा जायेगा ताकि उनके रजिस्टर में भी तदनुसार प्रविष्टि हो जायें।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत राज्य सूचना आयोग कार्यालय से प्राप्त होने वाले पत्रों के लिए भी एक अलग पंजिका सूचना अनुभाग में रखी जायेगी जिसमें उसका विवरण दर्ज किया जायेगा। आयोग से प्राप्त होने वाले समस्त

(195)

पत्रों को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके अनुमोदन/आदेशों के अनुपालन में ही सूचना आयोग को प्रेषित की जायेगी तथा उसका निस्तारण सूचना अनुभाग की पंजिका में भी दर्ज किया जायेगा।

14. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में मासिक सूचना सूचना आयोग, उत्तराखण्ड एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को नियमानुसार भेजी जायेगी।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत निदेशालय कार्यालय द्वारा जो सूचनायें आवेदक को सामान्यतः उपलब्ध करायी जा सकती हैं उनका उल्लेख परिशिष्ट 'क' में है।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत निदेशालय कार्यालय द्वारा जो सूचनायें आवेदक को सामान्यतः नही दी जा सकती है उनका उल्लेख परिशिष्ट 'ख' में है।

मैनुअल I

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

विभाग का उद्देश्य– चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्च कोटि की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना, शोध एवं अनुसंधान की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा संस्थानों की स्थापना किया जाना है। इसके अतिरिक्त एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत्त स्नातक स्तर की एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/पी0जी0 डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0 उपाधियां प्रदान करना, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन, राजकीय क्षेत्र के संस्थानों का प्रबन्धन एवं निर्देशन तथा निजी क्षेत्रों के संस्थानों का नियमन करना है।

कार्यक्रम विवरण/कार्य सम्पादन :–

उत्तराखण्ड में पर्वतीय प्रदेश होने के कारण एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि राज्य में प्रशिक्षित चिकित्सा एवं पैरामेडिकल मानव संसाधनों की अत्यन्त कमी है, विशेषकर एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी से स्थिति बहुत विकट है। राज्य बनने के काफी समय तक राज्य में चिकित्सा शिक्षा के पूर्ण व्यवस्थित ढाँचे, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के उचित प्रबन्धन, प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ के न होने के एवं पर्याप्त संकाय सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण चिकित्सा शिक्षा का एक सक्षम तंत्र चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के रूप में राज्य में विकसित न होने के कारण चिकित्सको एवं नर्सिंग,पैरामेडिकल कॉलेजो की भारी कमी से प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का नितान्त अभाव बना हुआ था।

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राजकीय क्षेत्र में कोई भी मेडिकल कालेज नही था, साथ ही नर्सिंग क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी परिस्थितिओं में राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराये जाने हेतु वर्ष–2007 में श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना का निर्णय लिया गया एवं वर्ष 2008 में इस संस्थान की स्थापना की गई। राज्य में 06 ए0एन0एम0टी0सी0 (उ0प्र0 के समय) पूर्व से स्थापित थे, जो कि लगभग 04–05 वर्षो से बंद पडे थे एवं मात्र एक नर्सिंग स्कूल (जी0एन0एम0) नैनीताल संचालित किया जा रहा था।

दिनांक 01.05.2010 को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड फोरेस्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का अधिग्रहण कर राजकीयकरण किया गया। वर्तमान में राज्य में पाँच राजकीय मेडिकल कॉलेज

श्रीनगर (150 प्रशिक्षु क्षमता), हल्द्वानी (125 प्रशिक्षु क्षमता), अल्मोड़ा (100 प्रशिक्षु क्षमता), देहरादून (150 प्रशिक्षु क्षमता) एंव हरिद्वार (100 प्रशिक्षु क्षमता) संचालित है। 02 अन्य मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ तथा रूद्रपुर निर्माणाधीन है। राज्य में कुल 09 नर्सिंग कॉलेज देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, चम्पावत बाजपुर एवं हल्द्वानी संचालित किया जा चुके है। 01 अन्य नर्सिंग कॉलेज कोठगी रूद्रप्रयाग निर्माणाधीन है। 03 जी0एन0एम0 स्कूल, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, संचालित किये जा रहे है। दिनांक 07.09.2013 को एक स्वतंत्र चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन चिकित्सा शिक्षा प्रशासकीय विभाग के अन्तर्गत किया जा चुका है एवं निदेशालय को सुदृढीकृत किये जाने के प्रयास गतिमान है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा के बढते हुए आयामों के दृष्टिगत हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून की स्थापना की जा चुकी है, राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों को चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित प्रवेश परीक्षायें एवं काउन्सिलिंग भी कुशलता एवं पारदर्शिता से सम्पन्न की जा रही है।

लक्ष्य :– राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग का बहुउद्देशीय ढॉचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी 05 क्रियाशील 02 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों पिथौरागढ एवं रूद्रपुर विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों को आकर्षक वेतन, सुविधायें एवं वेतन भत्ते देकर सभी कॉलेजों को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जा सकें ताकि गुणवत्ता परख शिक्षा प्रदान की जा सके एवं संकाय सदस्यों की कोई कमी न रहे। इसी प्रकार विभाग के कार्मिकों के सभी संवर्गों की सेवा–नियमावलियॉं प्रख्यापित हो चुकी हैं। संकाय सदस्यों की सेवा नियमावली प्रख्यापित हो चुकी है। नर्सिंग शिक्षकों की सेवा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है। शेष संवर्गों की नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

निदेशालय संगठनात्मक संरचना

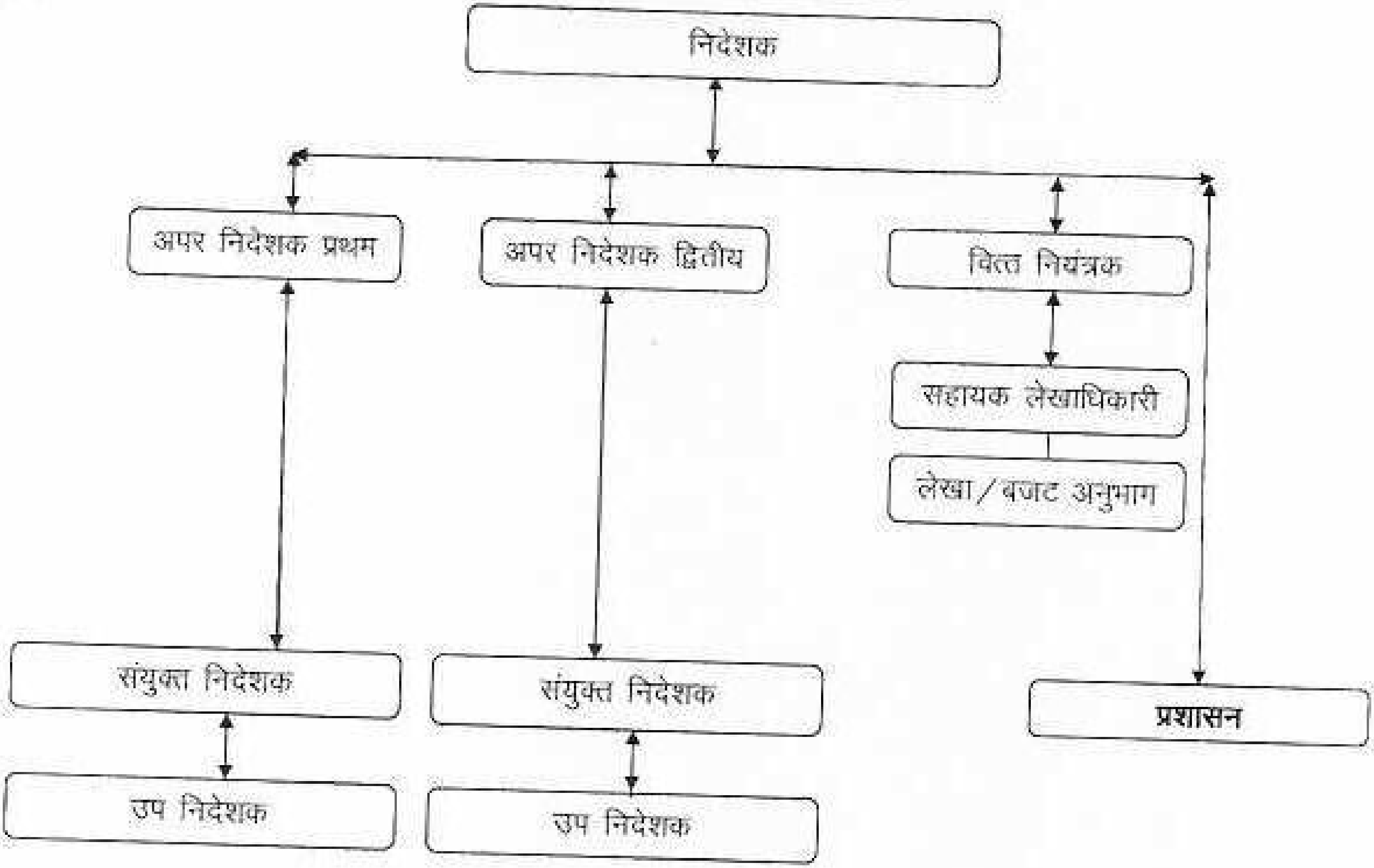

मैनुअल II

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र0 सं0	पदनाम	शक्तियां			कार्य
		प्रशासन	वित्तीय	अन्य	
1	Director	HOD overall in charge of administration and other work carried out by the department	D.D.O and Financial powers delegated to HOD as per the Delegation of Financial Powers rules 2008.	-	1- Head of the Department. 2- Overall Administrative control over the Department 3- All other such duties prescribed for the post under law.
2.	Additional Director	Over all	-	-	Under the supervision of Director overall section
3.	Joint Director (1St)	Supervision of paramedical and Nursing colleges			Public Information/Nodal Officer RTI, CM Portal & VIP Section
4.	Joint Director (2nd)	Supervision of Medical colleges			Legal Section
5-	Depty Director (1St)	Medical Collage			Medical Section
6.	Depty Director (2nd)	paramedical and Nursing			Legal Section

मैनुअल III

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

कार्मिक

कार्मिक निदेशक के आदेश पर पत्रावली को टीप पर अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक (प्रथम व द्वितीय) एवं आवश्यकतानुसार सहायक लेखाकार एवं वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक

निदेशक के पास से निर्णय होकर पत्रो पर निर्णय कर निदेशक के द्वारा शासन अथवा संबधित को प्रेषित किये जाते है।

मैनुअल IV

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड

सामान्य प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सभी कार्य/कार्यक्रमों का निस्तारण किया जाता है।

मैनुअल V

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

क0स0	अधिनियम, नियम, विनियम का नाम	विवरण
1.	3324/XXVIII(1)/2014-63/2010 दिनांक 23.01.2014	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2014
2.	1102/XXVIII(1)/39(नर्सिंग)/2015 दिनांक 19.12.2015	उत्तराखण्ड नर्सिंग कॉलेज शिक्षण सेवा नियमावली 2015
3.	427/XXVIII(1)/2016-07(नर्सिंग)/2013 दिनांक 02.06.2016 366/XXVIII(2)2019-07(नर्सिंग)/2013 दिनांक 16 सितम्बर 2019 366/XXVIII(6)2020-07(नर्सिंग)/2013 दिनांक 25 अगस्त 2020	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मे नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग के ट्यूटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदो पर सिविलियन नियमावली–2016, 2019 संसोधित नियमावली 2020
4.	1101/XXVIII(1)/38(नर्सिंग)/2015 दिनांक 19.12.2015	उत्तराखण्ड नर्सिंग स्कूल शिक्षण सेवा नियमावली 2015 एव संसोधित सेवा नियमावली 2020
5.	302/XXVIII(6)2020-39(नर्सिंग)/2015 दिनांक 17 जुलाई 2020	उत्तराखण्ड नर्सिंग कॉलेज शिक्षण सेवा नियमावली संसोधित 2020
6.	326/XXVIII(5)/2020-08(समान्य)/2019 दिनांक 13 अप्रैल 2020	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा टैक्नीशियन (लैब, ओटी/ डेण्टल, रिफैक्शनिस्ट, रेडियोग्राफर, रेडियोथेरेपी, ईसीजी टैक्नीशियन आदि) संवर्ग सेवा नियमावली 2020
7.	232/XXVIII(5)/2020-06(समान्य)/2019 दिनांक 06 अप्रेल 2020	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली–2020
8.	1024/XXVIII(5)/2020-24(समान्य)/2015 दिनांक 15 सितम्बर 2020	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल सोशल वर्कर (सोशल वर्कर/साइकेट्री सोशल वर्कर) संवर्ग सेवा नियमावली–2020
9.	231/XXVIII(5)/20-22(समान्य)/2015 दिनांक 06 अप्रैल सितम्बर 2020	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–2020
10.	973/XXVIII(5)/2021-18(समान्य)/2020 दिनांक 25 अक्टूबर 2021	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग लाइब्रेरी (लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन असिस्टेन्ट (डॉक्यूमेन्टलिस्ट/कैटालॉगर) संवर्ग सेवा नियमावली–2021
11.		वाहन चालक सेवा नियमावली उत्तराखण्ड को अंगीकृत किया गया है।
12.		लिपिक/आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर उत्तराखण्ड राज्य मे इन पदों हेतु प्रख्यापित सेवा नियमावलियों के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त है।
13.	25370/XXVIII(5)2004-(E-64938) दिनांक 11 नवम्बर 2024	उत्तराखण्ड चि0शि0वि0 टैक्नीशियन (लैब, ओ0टी0/सी0एस0डी0, डैण्टल आदि) संवर्ग सेवा (संशोधित) नियमावली 2024

(188)

मैनुअल VI

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण

1. नर्सिंग अनुभाग– नर्सिंग कालेजो व स्कूलो से संबंधित पत्रावलियाँ व अन्य डाक्यूमेंट।
2. मेडिकल/डेण्टल अनुभाग– मेडिकल कालेजो व डेण्टल से संबंधित पत्रावलियाँ व अन्य डाक्यूमेंट।
3. पैरामेडिकल अनुभाग– पैरामेडिकल संस्थानों से संबंधित पत्रावलियाँ व अन्य डाक्यूमेंट।
4. प्रशासन/अधिष्ठान– कार्यालय के समस्त कर्मचारीयों की व्यक्तिगत पत्रावलियाँ व अन्य डाक्यूमेंट।
5. लेखा अनुभाग– लेखा से संबंधित पत्रावलियाँ ।
6. बजट अनुभाग– बजट से संबंधित पत्रावलियाँ।
7. विधिक अनुभाग– कोर्ट केस से संबंधित पत्रावलियाँ।
8. नजारत अनुभाग– नजारत से संबंधित पत्रावलियाँ।
9. प्रोक्योरमेन्ट/टेण्डर अनुभाग–प्रोक्योरमेन्ट/टेण्डर से संबंधित पत्रावलियाँ।
10. आर0टी0आई0 अनुभाग– आर0टी0आई0 से संबंधित पत्रावलियाँ।
11. डिस्पैच अनुभाग– डिस्पैच से संबंधित रजिस्टर।
12. निमार्ण अनुभाग– समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राजकीय नर्सिंग संस्थानो के निमार्ण संबन्धित पत्रावलियाँ।

187

मैनुअल VII

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यां से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

मैनुअल VIII

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

(186)

मैनुअल IX

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र0स0	नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष	ई–मेल
1.	डॉ0 आशुतोष सयाना	निदेशक	0135-2723027, 2723028	medicaleducation11@gmail.com
2.	डॉ0 आर0एस0 बिष्ट	अपर निदेशक		medicaleducation107@gmail.com
3.	डॉ0 रंगील सिंह रैना	संयुक्त निदेशक		dddnu2021@gmail.com
4.	डॉ0 एम0 के0 पन्त	संयुक्त निदेशक		medicaleducation107@gmail.com
5.	डॉ0 हितेन्द्र सिंह	उप निदेशक		medicaleducation107@gmail.com
6.	डॉ0 अभय कुमार	उप निदेशक		medicaleducation107@gmail.com

मैनुअल X

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक, पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड रू0 में	ग्रेड वेतन (रू0 में)
1	निदेशक	01	37,400–67,000	10000
2	अपर निदेशक	02	37,400–67,000	8,700
3	संयुक्त निदेशक	02	15,600–39,100	7600
4	उप निदेशक	02	15,600–39,100	6600
5.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	15600–39100	5400
6	सहायक लेखाधिकारी	01	93,00–34,800	4800
7	सहायक लेखाकार	01	5200–20200	2800
8	वैयक्तिक सहायक	01	5200–20200	2800
9.	वरिष्ट वैयक्तिक सहायक	01	9300–34800	4200
10	प्रधान सहायक	01	9300–34800	4200
11	वरिष्ठ सहायक	02	5200–20200	2800
12	कनिष्ठ सहायक	03	5200–20200	2000
13	डाटा एंट्री आपरेटर	04	आउट सोर्स	
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	आउट सोर्स	
15	वाहन चालक	01	आउट सोर्स	

मैनुअल XI

समी योजनाओं, प्रस्तावत व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोटों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में चिकित्सा शिक्षा विभाग मे सम्पादित होने वाली विभिन्न योजनाओं का विवरण संलग्न किया जा रहा है जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है:-

(रू0 हजार में)

वित्तीय वर्ष 2025-26 मे कुल बजट प्राविधान		
राजस्व	पूंजीगत	योग
6367123	360008	6727131

2. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में आहरण-वितरण अधिकारियों की सूचना निम्न प्रकार है:-
   1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून-निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी।
   2. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
   3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।
   4. प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
   5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़।
   6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर।
   7. प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा।
   8. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक प्राविधान का सारांश

(धनराशि रू0 हजार में)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बजट प्राविधान		
राजस्व	**पूंजीगत**	**योग**
6367123	360008	6727131

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बजट प्राविधान

(धनराशि रूपया हजार में)

क0सं0	योजना का नाम	धनराशि
मेडिकल अनुभाग – (राजस्व पक्ष)		
01	2210–05–105–04–01– श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना	866121
02	2210–05–105–04–02– हे0न0ब0 बेस एलो0 चिकित्सालय (टीचिंग हॉस्पिटल)	290571
03	2210–05–105–04–06 राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून	1691900
04	2210–05–105–04–07–राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना	1414405
05	2210–05–105–04–09–सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा	693501
06	2210–05–105–04–13–राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार की स्थापना	338774
07	2210–05–105–04–14–राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर की स्थापना	367300
08	2210–05–105–04–15–राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ की स्थापना	155900
09	2210–05–105–04–16–स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी	62233
10	2210–05–105–09–00 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	38185
11	2210–05–105–10–00 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय	25000
योग (क)		**5943890**

नर्सिंग अनुभाग– (राजस्व पक्ष)		
12	2210–05–105–05–02– स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून की स्थापना	76751
13	2210–05–105–05–04– स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून की स्थापना	30871
14	2210–05–105–05–08–ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 नर्सिंग स्कूलों की स्थापना। (बी0डी0पाण्डे स्कूल ऑफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल रोशनाबाद, हरिद्वार)	34416
15	2210–05–105–05–09–राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना	32550
16	2210–05–105–05–10–पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली व पौड़ी नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना	186371
17	2210–05–105–05–11–राजकीय इन्टीग्रेटेड नर्सिंग कॉलेज, बाजपुर	32001
18	2210–05–105–05–12–राजकीय इन्टीग्रेटेड नर्सिंग कॉलेज, चम्पावत	30273
योग (ख)		**423233**
कुल योग:– (क)+(ख)		**6367123**

वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु बजट प्राविधान

(धनराशि रूपया हजार में)

क0सं0	मेडिकल अनुभाग (पूंजीगत पक्ष)	धनराशि
01	4210–03–105–01–04–ट्रामा सेन्टर राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	1
02	4210–03–105–95–04– राज्यांश	1
03	4210–03–105–95–05– राज्यांश	33334
04	4210–03–105–01–12–राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून ट्रामा सेन्टर	3
05	4210–03–105–95–12– राज्यांश	1
06	4210–03–105–01–06– राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मे जले हुये घाव के उपचार की व्यवस्था हेतु	9344
07	4210–03–105–95–06– राज्यांश	1038
08	4210–03–105–01–07– राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में जले हुये घाव के उपचार की व्यवस्था हेतु	3
09	4210–03–105–95–07– राज्यांश	1
10	4210–03–105–01–10– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	3
11	4210–03–105–95–09– भारत सरकार द्वारा रूद्रपुर पिथौरागढ एवं हरिद्वार में मेडिकल कालेज का निर्माण	1
12	4210–03–105–95–10– राज्यांश	1
13	4210–03–105–95–12– टर्सरी केयर प्रोग्राम राजकीय दून मेडिकल कालेज ट्रामा सेंटर	1
14	4210–03–105–03–00 श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना	50000
15	4210–03–105–08–00 दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना	250000
16	4210–03–105–09–00 राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना	80000
17	4210–03–105–12–00 अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण	100000
18	4210–03–105–14–चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के भवन निर्माण	1
19	4210–03–105–19–00 मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार हेतु अतिरिक्त मांग (अनावासीय)	100000
20	4210–03–105–01–14 दून मेडिकल कॉलेज में नेशनल ऑर्गन एण्ड टिशू ट्रांसप्लानटेशन	3
21	4210–03–105–04 निर्माण कार्यों हेतु भूमि अर्जन/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/एन0पी0वी0 का भुगतान	7000
22	4210–03–105–15–00 मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ	100000
योग (ग):–		730736

नर्सिंग अनुभाग –(पूंजीगत)		
23	4210–03–105–10–00 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना	250000

23	4210–03–105–11–00 नर्सिंग स्कूलों की स्थापना	10000
24	4210–03–105–13–00 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (चम्पावत बाजपुर एवं गुप्तकाशी)	100000
25	4210–03–105–01–16– नर्सिंग कालेज हल्द्वानी का निर्माण	1
26	4210–03–105–01–17– नर्सिंग कालेज रूद्रपुर का निर्माण	1
27	4210–03–105–01–15– नर्सिंग कालेज हरिद्वार का निर्माण	1
28	4210–03–105–01–18 नर्सिंग कॉलेजों श्रीनगर पौडी का निर्माण	1
29	4210–03–105–95–16– राज्यांश	1
30	4210–03–105–95–17– राज्यांश	1
31	4210–03–105–95–15– राज्यांश	1
32	4210–03–105–95–18 राज्यांश	1
योगः–(घ)		360008
कुल योग (ग+घ) :–		1090744

मैनुअल XII

सहायिकी कार्मकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

लागू नहीं ।

मैनुअल XIII

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

लागू नही।

मैनुअल XV

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचक कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यरण घंटे सम्मिलित हैं

क0स0	सुविधाएं	जानकारी की प्रकृति	कार्य–समय
सूचना पटल	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत	प्रातः10.00 बजे से 5.00 बजे कार्य दिवस पर

मैनुअल XVI

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

क0 स0	लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	पता	दूरभाष	ई– मेल	स्थान
1.	संयुक्त निदेशक	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107, चन्दर नगर, देहरादून।	0135– 273026	medicaleducation11 @gmail.com	देहरादून
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर।	8449450975	principalvcsg@gmail.com	श्रीनगर
3.	कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।	9319928623	Pio.gmchaldwani@rediffmail.com	हल्द्वानी
4.	एसोसिएट प्रोफेसर	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून।	9410558642	doonmedicalcollege @gmail.com	देहरादून
5.	प्रोफेसर	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार	9718876939	gmchridwar@gmail.com	हरिद्वार
6.	प्रोफेसर	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा	9219732266	gmcalmora@gmail.com	अल्मोड़ा
7.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ	9837251413	gmcpithoragarh@gmail.com	पिथौरागढ
8.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कॉलेज, रूद्रपुर	05944–299245	principalgmcrudrapur @gmail.com	रूद्रपुर
9.	प्राचार्या	स्टेट कालेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	0135–2522933	Collegeofnursing107 @gmail.com	देहरादून
10.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कालेज, टिहरी।	9219636921	Gcontehri16@gmail.com	टिहरी
11.	प्राचार्य	राजकीय नर्सिंग कालेज, पिथौरागढ।	9675543870	Gconpithoragarh16@gmail.com	पिथौरागढ
12.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कालेज, चमोली।	9411310187	Gconchamoli16@gmail.com	चमोली
13.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कालेज, अल्मोड़ा	8941943387	Gconalmora16@gmail.com	अल्मोड़ा
14.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कालेज, हल्द्वानी।	9536082822	nursingcollegehld@gmail.com	हल्द्वानी
15.	प्राचार्या	स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	0135–2528227	ssonprincipal@gmail.com	देहरादून
16.	प्राचार्य	बी0डी0 पाण्डेय, स्कूल ऑफ नर्सिंग, नैनीताल	05946–230012	ntcnainital@yahoo.com	नैनीताल
17.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कालेज, रोशनाबाद हरिद्वार।	01334–239919	principalgson@gmail.com	हरिद्वार
18.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, बाजपुर	–	principalbajpur@gmail.com	बाजपुर
19.	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी	9568344731	Nursingcollege.pauri @gmail.com	पौड़ी
20	प्राचार्या	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चम्पावत	9891353068	gncchampawat@gmail.com	चम्पावत

अपीलीय अधिकारियों के नाम व पदनाम

क्र0स0	अपीलीय अधिकारी का पदनाम	पता	दूरभाष	ई- मेल	स्थान
1.	अपर निदेशक	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107, चन्दर नगर, देहरादून।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
2.	प्राचार्य	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून।	0135-2726020	doonmedicalcollege@gmail.com	देहरादून
3.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।	05946-255255 255926	Principal-gmchld-uk.gov.in	हल्द्वानी
4.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर।	01346-244701	principalvcsg@gmail.com	श्रीनगर
5.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा	9412410759	Principal.gmcalmora@gmail.com	अल्मोड़ा
6.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार	9568127670	gmchridwar@gmail.com	हरिद्वार
7.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़	9837251413	gmcpithoragarh@gmail.com	पिथौरागढ़
8.	प्राचार्य	राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर	05944-299245	principalgmcrudrapur@gmail.com	रुद्रपुर
9.	अपर निदेशक	स्टेट कालेज ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
10.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कालेज, टिहरी।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
11.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कालेज, पिथौरागढ़।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
12.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कालेज, चमोली।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
13.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कालेज, अल्मोड़ा	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
14.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कालेज, हल्द्वानी।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
15.	अपर निदेशक	स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादून।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
16.	अपर निदेशक	बी0डी0 पाण्डेय, स्कूल ऑफ नर्सिंग, नैनीताल	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
17.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कालेज, रोशनाबाद हरिद्वार।	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
18.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, बाजपुर	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
19.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून
20.	अपर निदेशक	राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चम्पावत	0135-273026	dir.medu.uk@gov.in	देहरादून

मैनुअल XVII

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

लागू नहीं।